

**डिकरी व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु० उन० रामेश्वर बनाम कन्हैया वगै०

दावा बाबत 53,188 रा०का० अधिनियम'

मुकदमा नंबर 201/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू .....- व हाजरी वादी  
मिनजानिब मुददठ व ..... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है  
कि

वादी व प्रतिवादी को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.07.25 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.07.25 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.07.25 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।  
बीज - मुबलिंग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह  
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.8.25 को जारी की गई ।

मुहर



दस्तखत

28/8/25

मुददई	रूपया	पेसा	मुददालय	सहायक कलक्टर सा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजसय हुकमनामा मुतफरिंक	नदबई जिला भरतपुर
मीजान			मीजान	



1.- सम्मेश्वर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।

- वाह

बनाम

1. कन्हैया पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. जोगेन्द्र पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विजेन्द्र पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. गीता पत्नी मुकेश चंद जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।
5. निरंजनलाल पुत्र दीपी जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।
6. बरफी पत्नी मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राधाकिशन पुत्र दीपी जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. विष्णुदत्त पुत्र दीपी जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सुगड सिंह पुत्र सामन्ता जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।
10. सोमोती पत्नी सामन्ता जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. महेन्द्र सिंह पुत्र सामन्ता जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।
12. रामचरन पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।
13. पीएनबी शाखा लखनपुर जरिए प्रबंधक।
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

28/8/25

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.  
201/2019

रजू दिनांक  
16.12.2019

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
28.08.2025

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

- वादी

बनाम

1. कन्हैया पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. जोगेन्द्र पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. विजेन्द्र पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. गीता पत्नी मुकेश चंद जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. निरंजनलाल पुत्र दीपी जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. बरफी पत्नी मवासी जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राधाकिशन पुत्र दीपी जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. विष्णुदत्त पुत्र दीपी जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सुगड सिंह पुत्र सामन्ता जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. सोमोती पत्नी सामन्ता जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. महेन्द्र सिंह पुत्र सामन्ता जाति जाटव निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. रामचरन पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. प्रीएनबी शाखा लखनपुर जरिए प्रबंधक।
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जगवीर सिंह एड. (वादी की ओर से)  
श्री जीतेन्द्र गौड एड. (प्रतिवादीगण की ओर से)

दावा - 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.08.2025 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 0.04, 1749 रकबा 0.10, 1759 रकबा 0.10, 1851 रकबा 0.09, 527 रकबा 0.06, 534 रकबा 0.06, 546 रकबा 0.10, 547 रकबा 0.10, 557 रकबा 0.05, 577 रकबा 0.01, 832 रकबा 0.09, 883 रकबा 0.10, 916 रकबा 0.14, 920 रकबा 0.06, 927 रकबा 0.03, 930 रकबा 0.06, 931 रकबा 0.02, 938 रकबा 0.17, 939 रकबा 0.13, 945 रकबा 0.04, 957 रकबा 0.09, 958 रकबा 0.11, 965 रकबा 0.04 वाके ग्राम अटारी तहसील नदबई में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का रकबा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 6, 9, 10 की ओर से श्री जीतेन्द्र गौड एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण तामील बाबजूद भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए अतः शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। दावा में प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.04.2025 को जारी की गई। जिस पर तहसीलदार नदबई के पत्रांक 3584 दिनांक 15.07.25 द्वारा कुरा विभाजन प्रस्ताव भिजवाए गए।

वादी व प्रतिवादी को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.07.25 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.07.25 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 07.07.25 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



28/8/25  
(गंगाधर मीना & A.S.)  
सहायक कलक्टर नदबई  
नदबई जिला भरतपुर